

मामालम उपजिलाधिकारी जसवन्तनगर 22/09/2022
गाटा सं० 713/4मि० रकवा 0.9740हे०, धारा-80 रा० सं०
मौजा - सिसहाट, पश्चिम जसवन्तनगर 22/09/2022
भुवनेश चन्द्र आदि बनाम सरकार
नाकल भादेश दिनांक : 06/09/2022

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : कानपुर, जनपद : इटावा, तहसील : जसवन्तनगर
वाद संख्या :- 2391/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202203220302391
भुवनेश चन्द्र आदि बनाम सरकार
अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
निर्णय

उपरोक्त वाद भुवनेश चन्द्र व अनुज कुमार पुत्रगण श्री बृजेश चन्द्र निवासीगण ग्राम जुगौरा तहसील जसवन्तनगर जनपद इटावा के द्वारा मौजा सिसहाट की खतौनी फसली वर्ष 1427-1432 की खाता संख्या 115 पर अंकित गाटा सं० 713/4मि० रकवा 0.9740हे० भूमि में से 0.3246हे० भूमि को आवादी/अकृषिक भूमि घोषित कराने हेतु संस्थित किया गया है।

वाद पत्र पर तहसीलदार, जसवन्तनगर से जांच कराई गई। तहसीलदार, जसवन्तनगर की जांच आख्या दिनांक 02.09.2022/06.09.2022 में अंकित किया है कि मौजा सिसहाट की खतौनी फसली वर्ष 1427-1432 की खाता संख्या 115 पर अंकित गाटा सं० 713/4मि० रकवा 0.9740हे० भूमि में से 0.3246हे० भूमि मौके पर अकृषिक भूमि के रूप में प्रयुक्त हो रही है तथा मौके पर वर्तमान में उक्त गाटा संख्या के आस-पास घनी आबादी व रास्ता बना हुआ है। इस गाटा संख्या में कृषि कार्य, बागबानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है। मौजा सिसहाट की खतौनी फसली वर्ष 1427-1432 की खाता संख्या 115 पर अंकित गाटा सं० 713/4मि० रकवा 0.9740हे० पर चौ० सुघर सिंह पब्लिक स्कूल के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। प्रार्थी द्वारा गाटा संख्या 713/4 रकवा 0.9740हे० स्थित मौजा सिसहाट का वर्ष 1428 फसली का नकल खसरा प्रस्तुत किया गया है।

जोत चकबन्दी आकर पत्र-41 के अनुसार मौजा सिसहाट की नई गाटा संख्या 713 रकवा 9.63 एकड़ पुरानी गाटा संख्या 985मि०/2/1.00, 986/0.23, 987मि०/1.02, 988मि०/1.12, 1002मि०/1.45, 991मि०/1.17, 992/2मि०/0.80, 1009मि०/0.10, 1010/1.12, 1011मि०/0.15, 1000मि०/0.07, 1012मि०/0.18, 1013मि०/0.24, 1014मि०/0.65, 1015मि०/0.33 एकड़ से बनी है। जोत चकबन्दी आकार पत्र-45 के अनुसार मौजा सिसहाट की खाता संख्या 003 की गाटा संख्या 713 रकवा 8.09 एकड़ व 713अ रकवा 1.11 एकड़ पर अजुद्धी पुत्र पातीराम के नाम अंकित है। मौजा कैस्त के खसरा-1359 फसली की नकल के अनुसार गाटा संख्या 985/1.11 एकड़ पर पदम सिंह, 986/0.23 एकड़ पर बटेश्वरी प्रसाद, 987/1.03 एकड़ पर बटेश्वरी प्रसाद, 988/1.17 एकड़ पर बटेश्वरी प्रसाद, 1002/1.51 एकड़ पर पन्ना लाल, 991/1.20 एकड़ पर पन्ना लाल, 992/0.97 एकड़ पर पन्नालाल, 1009/0.17 एकड़ पर राजेश्वरी प्रसाद, 1010/1.12 एकड़ पर बटेश्वरी प्रसाद, 1011मि०/0.51 एकड़ पर बटेश्वरी प्रसाद, 1000/0.40 एकड़ पर अजुद्धी प्रसाद, 1012/0.43 एकड़ पर पदम सिंह, 1013/1.03 एकड़ पर गंगाप्रसाद, 1014/1.09 एकड़ पर पन्नालाल के नाम अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मौजा सिसहाट की गाटा सं० 713 रकवा 0.9740हे० भूमि में से 0.3246हे० प्रार्थीगण विक्रय पत्र के आधार पर प्राप्त हुयी है।

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार मौजा सिसहाट की गाटा सं० 713 रकवा 0.9740हे० भूमि में से 0.3246हे० भूमि का मूल्यांकन 15000000/- प्रति हे० की दर से 4869000/-रु० होती है। उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 की धारा-80 के अनुसार अकृषिक घोषित कराने का शुल्क एक प्रतिशत 48690/-रु०पये होती है। मौजा सिसहाट की गाटा सं० 713 रकवा 0.9740हे० भूमि में से 0.3246हे० के सम्बन्ध में भूमि प्रबन्धक समिति सिसहाट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त गाटा संख्या के आस-पास ग्राम सभा अथवा राज्य सरकार की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। चौहददी निम्न प्रकार है-पूरब कचौराघाट जसवन्तनगर मार्ग पश्चिम गूल उत्तर चकरोड़ दक्षिण खेत श्रीकृष्ण आदि जाँच आख्या के अन्त में मौके की

पृष्ठ संख्या :